श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(i) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 के पत्र संख्या भासनि—15/97—मन्दिर—3—3278 दिनांक 24.3.2005 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास के आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं सचिव/मन्दिर अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे :—

आयुक्त

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री ओंकार शर्मा	01.01.2011 से 31.4.2011
2	श्री मनीश गर्ग	07.05.2012 से 28.05.2012
3	श्री अरूण शर्मा	28.05.2012 से 24.10.2012
4	श्री सुभाशीष पांडा	24.10.2013 से लगातार

सहायक आयुक्त

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री आशीष कोहली	08.04.2009 से 18.05.2011
2	श्री राजीव कुमार	08.05.2011 से लगातार

सचिव/मन्दिर अधिकारी

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री एम0आर0 भारद्वाज	01.01.2011 से 17.08.2012
2	श्री अनिल शर्मा	17.08.2012 से लगातार

(iii) श्री हनुमान मन्दिर जाखू, शिमला के लेखों में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का पैराबार संक्षिप्त सारः—

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**राशि लाखों में**
1	5 (क)	सावधि जमा से प्राप्त ब्याज राशि पर कर (टी0डी0एस0) का मामला आयकर विभाग से न उठाना	1.00
2	10	रसीदों से प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करना	0.12
3	13	मूल औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना भुगतान करना	3.78
4	14	विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करना	2.76
5	15	बिना निविदाएं आमन्त्रित किये विभिन्न मदों पर व्यय करना	0.79
6	16	श्रमिकों को अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान करना	0.50
7	17	स्टील की शेष मदों की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	—
8	18	हि0प्र0 बिजली बोर्ड से शेष राशि की वसूली न करना	0.12

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन से सम्बन्धित अनिर्णीत पैरों का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

श्री हनुमान मन्दिर न्यास, जाखू शिमला के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2013 से 30.11.2013 के दौरान किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 06/2011 व 06/2012 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/2011 व 11/2012 के लेखों का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹**14400 ⁄ – (**₹** चौदह हजार चार सौ मात्र) आंका गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 37 ⁄ 2013, दिनांक 30.11.2013 द्वारा मन्दिर प्राधिकारी से उपरोक्त राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

(क) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू के प्राधिकारियों द्वारा मन्दिर न्यास की अवधि 01.01.11 से 31.12.12 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	अनुदान आय	ब्याज आय	कुल योग	व्यय	अन्त शेष
2011	3958222.73	5290653.00	400000	230779.08	9879654.81	2863338.00	7016316.81
2012	7016316.81	6947103.74	600000	623875.27	15187295.82	5699309.60	9487986.22

(ख) दिनांक 31.12.2012 को बैंक में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:–

1	इंडस बैंक बचत खाता संख्या 0185132776001 में जमा राशि	704447.77
2	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक बचत खाता संख्या 635301009043 में जमा राशि	150479.00
3	सावधि जमा में निवेशित राशि (**परिशिष्ट "ख"**)	8636209.45
	योग	**₹9491136.22**

(ग) बैंक समाधान विवरणिका:–

(i) मुख्य रोकड़ वही अनुसार शेष	701297.77
इन्डस बैंक बचत खाता संख्या 0185132776001	704447.77
अन्तर	3150.00
अन्तर का कारण:– (i) **₹**3150 ⁄ – का चैक संख्या 817028, दिनांक 15.12.12 को जारी किया गया परन्तु दिनाँक 31.12.12 तक आहरित नहीं हुआ	(+) 3150

(ii) भंडारा रोकड़ वही अनुसार शेष	150479
बैंक बचत खाता (आई0सी0आई0सी0आई0) अनुसार शेष	150479

(घ) रोकड़ वही के प्रत्येक कुल जमा राशि के अन्त शेष की विवरणी तैयार न करनाः–

मन्दिर न्यास की वर्ष 2011 व 2012 की रोकड़ वही का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास की रोकड़ बही के अन्तशेश का विभिन्न बैंकों में जमा कुल राशि के अन्तशेष से प्रत्येक माह के अन्त में विवरण तैयार तैयार करके मिलान नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समय–समय पर मन्दिर निधि में कुल जमा राशि कहां–कहां जमा व निवेशित की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक माह के अन्त में मन्दिर न्यास की रोकड़ वही में जमा राशि का विभिन्न बैंकों में जमा राशि से पूर्ण विवरण देकर मिलान सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 निवेश :–

मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज की राशि में से बैंक द्वारा (टी0डी0एस0) के रूप में काटी गई ₹100283.10 का मामला आयकर विभाग न उठानाः–

अंकेक्षण के दौरान निवेशित राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा निवेशित राशियों की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज राशियों में से बैंकों द्वारा ₹100283.10 स्त्रोत पर आयकर के रूप में काटी गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास जोकि एक घार्मिक संस्था है, की आयकर के रूप में कटौती में छूट हेतु मामला आयकर विभाग से उचित प्रकार से उठाया जाये। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास की आय पर आयकर विभाग से कर–निर्धारण करवाकर स्त्रोत पर काटी गई उक्त राशि का समायोजन/निपटारा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) सावधि जमा निवेश पर ₹9522/– के ब्याज की अतिरिक्त आय से वंचित रहनें के बारे में:–

श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू की निधि से वर्ष 2011 व वर्ष 2012 के दौरान किये गये सावधि जमा निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा शिमला अर्बन को–ओपरेटिव बैंक लिमिटेड व विजया बैंक में एक ही तिथि को अलग–2 ब्याज दरो पर राशियों का निवेश किया गया था जिसकी गणना का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यदि इन राशियों को उच्च दर प्रदान करने वाले बैंक में निवेश किया जाता तो मन्दिर न्यास को ₹9522/– की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी लेकिन इस सन्दर्भ में विवेक से निवेश न किये जाने के परिणामस्वरूप न्यास को ₹9522/– की अतिरिक्त आय से वंचित रहना पड़ा जिस बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा इस हानि की उचित स्त्रोत से भरपाई सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	सावधि जमा खाता सं0	बैंक का नाम	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	परिपक्वता तिथि	निवेश तिथि को उपलब्ध उच्च ब्याज दर	उच्च दर पर जो ब्याज राशि प्राप्त होनी थी	वास्तव में प्राप्त ब्याज राशि	क्म प्राप्त ब्याज राशि
1	770103611000079	विजया बैंक	1067050	25.9.11	25.9.12	9.50%	1172089	1168930	3159
2	1486/1	शिमला को0ओ0 बैंक	1184330	25.9.12	25.9.13	9.50%	1300913	1294571	6342
3	770103311002308	विजया बैंक	8742	25.9.12	30.10.13	9.50%	9690	9669	21
								कुल	9522

इसके अतिरिक्त दिनाँक 31.12.2012 को ₹8636209.45 का सावधि जमा निवेश किया गया था जिस पर बैंक द्वारा ₹880530/– का ब्याज भी दिया जाना है। उक्त सावधि जमा निवेशों की परिपक्वता पर इनका रोकड़ वही में ब्याज सहित लेखाकंन किया जाए तथा संस्था

स्तर पर आन्तरिक जाँच करके आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन राशियों का लम्बी अवधि के लिये पुनः निवेश किया जाये ताकि मन्दिर न्यास से ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके।

(ग) सावधि जमा निवेश रजिस्टर का निर्माण न करनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशियों से सम्बन्धित रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त रजिस्टर का भविष्य में निर्माण कर लिया जायेगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि निम्न वर्णित परमोर्फा की संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके सावधि जमा निवेश के रजिस्टर का प्रारम्भ से इस प्रोफोर्मा के अनुसार निर्माण किया जाये ताकि समय–समय पर निवेशित राशि, उस पर प्राप्त ब्याज राशि व पुनः निवेशित राशि का पूर्ण स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार हो सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः—

Date of investment	**FDRs A/C No.**	**Amount indested**	**Rate of interest**	**Period of investment**
1	2	3	4	5
Date of Maturity	**Date of actual encashment**	**Amount received on encashment**	**Period of delated encashment if any**	**Reasons for the same**
6	7	8	9 (i)	9 (ii)

7 अनुदानः—

श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू शिमला को वर्ष 2011–2012 के दौरान ₹10,00,000/– अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसे उक्त अवधि में व्यय किया गया तथा जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

8 सोना चांदी की लेखा स्थिति :–

(क) दिनाँक 31.12.2012 को सोना–चाँदी के अन्त शेष बारेः–

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये सोना–चांदी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.12.2012 तक सोने का अन्तिम शेष 324.341 ग्राम व चांदी का अन्तिम शेष 37.556.800 ग्राम था। उक्त अन्तशेष में सोने व चांदी की मात्रा क्रमशः 324.341 ग्राम व चांदी की मात्रा 18.719. 800 ग्राम जिला कोषागार में जमा है तथा मन्दिर के लोकर में सोने की मात्रा क्रमशः शून्य व चांदी की मात्रा 18.837 ग्राम है जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर भी दिया गया है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 22.07. 2004 से पूर्व की सोने–चाँदी की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अभिलेख अर्थात स्टॉक रजिस्टर आदि न तो तैयार किया गया था न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया अपितु दिनाँक 22.07.2004 को मन्दिर अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया तथा मन्दिर में रखे गये सोने/चांदी का तोल किया गया तथा तोले गये सोने/चांदी का भार/वजन 203.200 ग्राम व चांदी का भार 3.753.800 ग्राम पाया गया जिसे जिला कोषगार में जमा करवाया गया है तथा इसे वर्ष 2004 में आरम्भिक शेष मान कर उससे बाद में प्राप्त सोने/चांदी को स्टॉक में दर्ज किया गया है। अतः 22.07.2004 से पूर्व की सोने/चाँदी की स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) चाँदी की 463 ग्राम मात्रा को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोना–चाँदी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 101 पर माह अगस्त, 2011 में चाँदी की 463 ग्राम की धातु दर्ज की गई थी जो की मन्दिर में बहुत पुरानी पड़ी थी जिसका विवरण निम्न वर्णित है परन्तु इन धातुओं के वजन को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई अब पूर्ण करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जायेः–

क्र0सं0	**धातु का नाम**	**स्टॉक रजिस्टर में ली गई मात्रा**
1	चाँदी का कटोरा	450 ग्राम
2	चाँदी का आचमन (चम्मच)	13 ग्राम
	कुल	**463 ग्राम**

(ग) चाँदी की मात्रा में 10 ग्राम के अन्तर बारेः–

आयुक्त श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू, शिमला के पत्र संख्या एस0एम0एल0–एस0डी0एम0 (टेपम्ल)/2011–2957, दिनाँक 22.06.2011 जोकि जिला कोषाधिकारी, शिमला को सम्बोधित है, के अनुसार चाँदी की मात्रा (4 किलो 76 ग्राम) सील्ड टरंक में जिला कोषागार में जमा की गई जिसके सन्दर्भ में जिला कोषाधिकारी शिमला की पावती उक्त पत्र पर दिनांक 22.06.2011 में भी दर्शाई गई है जबकि सोना–चाँदी के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 95 के अनुसार दिनाँक 22.06.2011 को (4 किलो 66 ग्राम) चाँदी की मात्रा ही जिला कोषागार में जमा की गई दर्शाई गई है। परिणामस्वरूप स्टॉक रजिस्टर के अनुसार जिला कोषागार में जमा चाँदी की मात्रा 10 ग्राम कम दर्शाई गई है तथा मन्दिर के लोकर में 10 ग्राम मात्रा अधिक दर्शाई गई है। इस बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा छानबीन उपरान्त के स्टॉक रजिस्टर में आवश्यक सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

9 मन्दिर कर्मचारियों के वेतन व भत्तेः–

मन्दिर अधिग्रहण के समय मन्दिर में कर्मचारियों की संख्या 6 थी तथा वर्ष 2005 तक भी कर्मचारियों की संख्या 6 ही थी। वर्ष 2006 में कर्मचारियों की कुल संख्या 9 हो गई जोकि वर्तमान में भी 9 है। नए नियुक्त किये गये 3 कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यास द्वारा कर्मचारियों की संख्या में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन व भत्तों के रूप में की जा रही अदायगी का न्यास की आय/बजट पर पड़ने वाला अनुपातिक दायित्व निम्न प्रकार से पाया गया।

वर्ष	आय	वेतन पर व्यय	आय का प्रतिशत भाग
2011	5290653.00	567600.00	10.73%
2012	6947103.74	567600.00	8.17%

वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास की आय के दृष्टिगत वेतन व भत्तों का भुगतान भविष्य में भी न्यास की आय में से किया जाना सम्भव रहेगा तथा वेतन

आदि के लिये सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता/अनुदान की राशि की आवश्यकता नहीं है।

10 रसीदों से प्राप्त ₹12160/– को जमा न करनाः–

भंडारा रसीद बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नविवरणानुसार रसीद बुकों से प्राप्त ₹12160/– को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को ब्याज सहित मन्दिर न्यास के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाते में जमा कर दिया गया है। अतः जमा की गई इस राशि का ब्याज सहित रोकड़ वही में आवश्यक लेखांकन किया जाये तथा इसकी अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जायेः–

क्र0सं0	**रसीद सं0**	**दिनांक**	**प्राप्त राशि**	**ब्याज सहित अब जमा की गई राशि**	**जमा की दिनांक**
1	228 से 229 व 231 से 239	7.3.12 11.3.12 से 18.3.12	4952	5200	21.11.13
2	287 से 300	27.5.12 से 18.6.12	7208	7650	8.11.13
		कुल	**12160**	**12850**	

11 रसीदों से प्राप्त ₹101/– को कम जमा करनाः–

रसीद स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 46 पर रसीद संख्या 590 से 600 के अन्तर्गत कुल ₹1111/– प्राप्त हुई परन्तु रोकड़ वही के पृष्ठ 72 पर दिनाँक 11.6.2011 को केवल ₹1010/– जमा की गई। इस प्रकार ₹101/– कम जमा की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹100/– दिनांक 31.10.2013 को बैंक में जमा कर दी गई तथा शेष ₹1 जमा की जानी शेष है जिसे अब जमा करवाया जाये इसके साथ ही उक्त की जमा की गई राशि को रोकड़ वही में दर्ज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये।

12 रोकड़ प्राप्तियों को विलम्ब से बैंक में जमा करवानाः—

मन्दिर न्यास जाखू के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों से प्राप्त आय को बहुत विलम्ब से बैंक में जमा करवाया गया है जोकि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ साथ प्राप्त की गई राशियों का अस्थाई दुर्विनियोजन है जिस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस समबन्ध में कोंई सुधार नहीं हुआ।

रसीद सं0	**दिनांक**	**प्राप्त राशि**	**बैंक में जमा करवाने की तिथि**
005 से 011	17.4.11	7007	1.6.11
012 से 015	31.5.11	4004	13.6.11
348 से 374	23.5.11 से 11.6.11	1377	13.6.11
003 से 004	18.6.11	1022	29.6.11
511 से 513	18.6.11	303	29.6.11
034	14.5.´12	1001	1.6.12
580 से 589	13.5.12 से 28.5.12	1010	1.6.12
394 से 400	13.5.12 से 29.5.12	357	1.6.12
001 से 026	10.10.10 से 17.5.11	9060	3.6.11
027 से 033	17.5.11 से 22.5.11	2956	14.6.11

अतः उपरोक्त रसीदों से प्राप्त राशि को विलम्ब से बैंक में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में रसीदों से प्राप्त राशियों को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त प्राप्त राशियों को अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

13 मूल औपचारिकताऐं पूर्ण किये बिना ही कार्य करवाकर ₹377769/– का भुगतान करना:–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹377769/– का व्यय मन्दिर परिसर में विभिन्न कार्य करवाने हेतु किया गया परन्तु किये गये व्यय के सम्बन्ध में मूल औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई थी अर्थात करवाये गये कार्यो के लिए न तो कोई प्राकलन तैयार किये गये थे और न ही इनकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्य के सन्तोषजनक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी अभिलेख में संलग्न नहीं किया गया था तथा कार्य करवाने हेतु मन्दिर न्यास द्वारा पारित प्रस्ताव भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही मापन पुस्तिका का निर्माण किया गया था। अतः इन मूल औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कार्य करवाना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है जिस बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के कार्य करवाने से पूर्व उपरोक्त मूल औपचारिकतायें पूर्ण करनी सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	कार्य का नाम	जिसे भुगतान किया गया	चैक सं0 व दिनाँक	रोकड़ वही पृष्ठ	भुगतान की गई (₹)	टिप्पणी
1	मन्दिर परिसर हेतु रंग–रोगन की खरीद (बाद में रंग रोगन का कार्य मस्टरोल द्वारा लेबर रेट पर करवाया गया)	मै0 कृष्णा लोहा भण्डार, 42 लोअर बाजार शिमला	656368/ 17.10.'11	48	54540	बिल संख्या 2602 दिनाँक 12.10.11 के विरूद्ध ₹29500/– व बिल संख्या 2603 दिनाँक 12.10.11 के विरूद्ध ₹25040/– का भुगतान किया गया
2	मन्दिर परिसर स्टील की रेलिंग का कार्य	मै0 एस0पी0 छग्गर वकर्स, 3243 रणजीत	656367/ 17.10.11	48	249920	बिल सं0 120 दिनाँक 8.10.11 के विरूद्ध राशि का भुगतान किया गया

		नगर, नई दिल्ली–110008				
3	मन्दिर के कीर्तन होल में कारपेट खरीदने व बिछाने का कार्य	मै0 ट्रांसवर्ल्ड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कम्पनी, दि मॉल शिमला	960226/ 25.10.11	49	73309	बिल संख्या 5863 दिनाँक 28.9.11 के विरूद्ध राशि का भुगतान किया गया जिसे डी0डी0ओ0 (मन्दिर अधिकारी) द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
				कुल	377769	

14 विज्ञापनो पर ₹276000/– का अनियमित व्यय करना:–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ङ"** के अनुसार वर्ष 2011 व वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न संघो, संस्थाओं, पत्रिकाओं इत्यादि के विज्ञापनों इत्यादि पर मन्दिर न्यास निधि से ₹276000/– का भुगतान किया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है क्योंकि मन्दिर निधि में इस प्रकार के व्यय का कोई प्रावधान नहीं है। अतः विज्ञापनों पर किया गया व्यय मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अथवा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15 बिना निविदाएं आमन्त्रित किये ₹79367/– की विभिन्न मदों का क्रय करना:–

नियमानुसार तीन हजार रूपये से अधिक के व्यय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी अपेक्षित होती है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹79367/– का व्यय विभिन्न मदों का क्रय करने हेतु किया गया परन्तु क्रय करने के लिए निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप निविदाएं आमन्त्रित न करने के कारण मन्दिर न्यास द्वारा खुली बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी हैं।

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल सं0 व दिनांक	क्रय की गई मद का विवरण	भुगतान की गई राशि	रोकड़ वही पृ0
1	मै0 भूटिको वीवर्स को0ओ0 सोसाईटी, ब्रांच शिमला	7072/12.10.11	दशहरा पर्व हेतु आठ शालें व सात टोपियों का क्रय	9955	48
2	मै0 रोशन लाल गणेशी लाल, 38, लोअर बाजार, शिमला	173/5.10.11	दशहरा पर्व हेतु 50 कि0ग्रा0 रस्से का क्रय	4718	48
3	मै0 हैप्पी ब्रदर्स, 74 दि मॉल शिमला	2991/13.10.11	दशहरा पर्व हेतु तीन राम दरबार का क्रय	10300	48
4	मै0 मिलाप चन्द एंड सन्स, 71/बी मिडल बाजार, शिमला	253/22.9.11	मन्दिर के कीर्तन भवन के लिये श्री हनुमान जी की दो बड़ी फोटो फ्रेमों का क्रय	3904	49
5	मै0 शमीम अहमद 40/2, मिडल बाजार, शिमाला	1873/4.10.11	मन्दिर कर्मचारियों की बर्दी की सिलाई का कार्य	4610	49
6	मै0 श्यामा राम कृष्ण चन्द, 20 गंज बाजार, शिमला	–	मन्दिर कर्मचारियों के लिये बर्दी हेतु कपड़े का क्रय	4640	49
7	मै0 राम लाल, नम्होल, जिला बिलासपुर	015/12.10.12	मक्की फीड हेतु गेंहू व मक्की का क्रय	25360	84
8	मै0 देविन्दर ब्रदर्स,	2838/26.8.12	मन्दिर प्रसाद हेतु	8230	84

	105, लोअर बाजार शिमला		साठ कि0ग्रा0 चने का क्रय		
9	मै0 देविन्दर ब्रदर्स, 105, लोअर बाजार, शिमला	2830 / 12.8.12	मन्दिर प्रसाद हेतु साठ कि0ग्रा0 चने का क्रय	7650	84
			कुल	**₹79367**	

अतः उक्त पाई गई अनियमितताओं बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अनियमित प्रकार से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

16 श्रमिकों को ₹50242/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान करनाः–

श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास जाखू द्वारा मन्दिर परिसर में लेवर रेट पर विभिन्न कार्य करवाये गये तथा श्रमिकों को मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि श्रमिकों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम दैनिकी दर के विपरीत निम्नविवरणानुसार अधिक दरें प्रदान करके ₹50244/– का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अनियमित प्रकार से किये गये ₹50242/– के अधिक भुगतान के बारे में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट करके अनियमित भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये।

क्र0सं0	मस्ट्रोल माह	श्रमिकों की सं0	दिनों की सं0	श्रमिक की श्रेणी	भुगतान की गई दर (₹)	वास्तविक दर (₹)	अधिक दर का भुगतान (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
(i) मन्दिर कार्यालय के साथ रास्ते का निर्माण व रेलिंग का कार्य								
1	जून 2012	3	48 दिन (316)	मिस्त्री	237	235	2	96

2	जुलाई, 2012	2	62 दिन (231)	मिस्त्री	237	235	2	124
3	अगस्त, 2012	3	78 दिन (326)	मिस्त्री	237	235	2	156
4	जून, 2012	5	75 दिन (515)	बैल्डर	237	166	71	5325
5	जुलाई 2012	5	155 दिन (531)	बैल्डर	237	166	71	11005
6	अगस्त, 2012	5	155 दिन (531)	बैल्डर	237	166	71	11005
7	सितम्बर, 2012	2	30 दिन (215)	बैल्डर	237	192	45	1350
		1	10 दिन (110)	बैल्डर	237	192	45	450
		1	6.5 दिन (16.5)	बैल्डर	237	192	45	293
(ii) दशहरा पर्व से पूर्व मन्दिर परिसर में रंग रोगन का कार्य								
8	अक्तूबर, 2012	7	140 दिन (720)	पेन्टर	217	205	12	1680
		1	8 दिन (18)	पेन्टर	217	205	12	96
		1	7 दिन (17)	पेन्टर	217	205	12	84
(iii) मन्दिर के पार्क के रास्ते में लाल धौलपुर पत्थर बिछाने का कार्य								
9	अप्रैल, 2012	3	63 दिन (321)	मिस्त्री	237	235	2	126
10	मई, 2012	4	124 दिन (431)	मिस्त्री	237	235	2	248

11	मई, 2012	3	39 दिन (313)	मिस्त्री	237	235	2	78
12	जून, 2012	4	120 दिन (430)	मिस्त्री	237	235	2	240
13	जून, 2012	2	60 दिन (230)	मिस्त्री	237	235	2	120
14	जुलाई, 2012	1	20 दिन (120)	मिस्त्री	237	235	2	40
(iv) मन्दिर परिसर में वर्षाशालिका के साथ रिटेनिंग वाल व सीढ़ियाँ लगवाने का कार्य								
15	मार्च, 2012	4	116 दिन (429)	मिस्त्री	237	217	20	2320
16	अप्रैल, 2012	1 1	19 दिन (119) 9 दिन (19)	मिस्त्री	237 237	235 235	2 2	38 18
17	मई, 2012	1	23 दिन (123)	मिस्त्री	237	235	2	46
		1	7 दिन (17)	मिस्त्री	237	235	2	14
		1	16 दिन (116)	मिस्त्री	237	235	2	32
(v) मन्दिर के दशहरा मैदान, वर्षाशालिका व श्री हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा के आस–पास रेलिंग का कार्य								
18	मार्च, 2012	7	217 दिन (731)	बैल्डर	237	153+44 कुल 197 (2 घन्टे प्रतिदिन ओवर	40	8680

						टाईम के ₹44 का अतिरिक्त भुगतान)		
19	अप्रैल, 2012	6	180 दिन (630)	बैल्डर	237	166+48 कुल 214 (2 घन्टे प्रतिदिन ओवर टाईम के ₹48 का अतिरिक्त भुगतान)	23	4140
20	मई, 2012	8	64 दिन (88)	बैल्डर	237		23	1472
21	जून, 2012	7	42 दिन (76)	बैल्डर	237		23	966
							कुल	**₹50242**

17 मन्दिर न्यास में स्टील का कार्य करवाने के उपरान्त स्टील की शेष मात्रा 840.823 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः—

रोकड़ बही के पृष्ठ 65 व 69 पर मै0 ठाकुर देवी राम एंड सन्स, 7—डिंगल इस्टेट, शिमला—3 को मन्दिर परिसर में रेन शैल्टर, हनुमान जी की मूर्ति के साथ तथा दशहरा मैदान की सीढ़ियों में रेलिंग का कार्य करवाने हेतु 7967.400 किलो ग्राम स्टील (लोहे) का सामान (एंगल, स्केयर बार, फ्लैट आयरन इत्यादि) क्रय करने हेतु ₹425596/— का भुगतान (चैक संख्या 656339 दिनांक 12.4.12 द्वारा ₹302076 व चैक संख्या 6566312 दिनाँक 17.5.12 द्वारा ₹123520) किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा यह कार्य को मस्टरोल पर रखे गये मजदूरों द्वारा लेबर रेट पर करवाया गया था तथा सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि सहायक अभियन्ता (डी0आर0डी0ए0) शिमला द्वारा तैयार की गई व उनके द्वारा सत्यापित की गई कार्य की "Assessment Sheet" के अनुसार उक्त कार्य के लिए लोहे की खपत 7126.577 किलो ग्राम दर्शाई गई है। परिणामस्वरूप (7967.400—7126.577=840.823) किलोग्राम लोहे के सामान की मात्रा शेष होनी चाहिए थी जबकि स्टॉक रजिस्टर में उक्त मदों का शेष शून्य

दर्शाया गया था। अतः शेष बचे सामान को स्टॉक रजिस्टर में शून्य दर्शाने बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व अब शेष लोहे के सामान की मात्रा 840.823 किलोग्राम को स्टॉक रजिस्टर में वापिस दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा शेष लोहे के सामान की बाजारी दर पर वसूली उचित माध्यम से करके कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से शेष ₹11950/– की वसूली न करनाः–

रोकड़ वही के पृष्ठ 61 पर वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता (शहरी), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लि0, शिमला–1 को मन्दिर परिसर में स्थापित श्री हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमां के साथ तीन फ्लड लाईटें व स्ट्रीट लाईटें लगवाने के कार्य हेतु कार्यालय के पत्र संख्या सी0ई0डी0/डी0बी0–डब्लयू–11/2011–12–11473, दिनांक 6.01.12 के अन्तर्गत चैक सं0 656288, दिनाँक 22.02.2012 द्वारा ₹416960/– का अग्रिम भुगतान किया गया। इस डिपोजिट कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त उक्त कार्यालय द्वारा पत्र संख्या एच0पी0एस0ई0बी0/सी0ई0डी0–ए0बी0डब्लयू–7/2012–13/7132, 5.11.12 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत ₹405000/– थी। इस प्रकार शेष ₹11960/– (416960–405000) बिजली बोर्ड से वापिस प्राप्त की जानी शेष है। अतः इस राशि की उक्त कार्यालय से शीध्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

19 ₹171/– का मजदूरी का अधिक भुगतानः–

रोकड़ वही के पृष्ठ 48 पर मन्दिर अधिकारी (तहसीलदार) को चैक संख्या 656365, दिनाँक 3.10.2011 द्वारा अग्रिम ₹40000/– दशहरा उत्सव के उपलक्ष में मन्दिर परिसर में रंग रोगन का कार्य करवाने व काजू बर्फी, बैचज, शॉल, टोपियाँ वैवज इत्यादि का क्रय करने तथा बैंड पार्टी को भुगतान करने हेतु दी गई। अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि रंग रोगन का कार्य करवाने हेतु लगाये गये मजदूरों को ₹29900/– का भुगतान किया गया जबकि मस्ट्रोल के अनुसार ₹29729/– का भुगतान बनता था। परिणामस्वरूप ₹171 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जानाः–

श्री हनुमान जी मन्दिर जाखू की अवधि 01.01.2004 से 31.12.2012 की स्टॉक पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा स्टॉक की विभिन्न मदों का वर्षवार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष सत्यापन न होने के स्टॉक रजिस्टर में अंकित वस्तुओं की वास्तव में होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक/खपत रजिस्टर में दर्ज अधिकतम प्रविष्टियाँ भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने तथा स्टॉक प्रविष्टियों को सत्यापित न करने बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई को अब पूर्ण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये।

21 दान स्वरूप प्राप्त वस्तुओं की रसीदें जारी न करने बारेः–

मन्दिर न्यास के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दानस्वरूप प्राप्त वस्तुओं की रसीदें जारी नहीं की जा रही थी तथा दान स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को सीधे स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार दान स्वरूप प्राप्त की जा रही वस्तुओं की रसीदें जारी न करना एक गम्भीर अनियमितता है तथा बिना रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई वस्तुओं की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में दान स्वरूप प्राप्त समस्त वस्तुओं की रसीदें जारी की जाये व तदोपरान्त वस्तुओं का इन्द्राज पूर्ण विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

22 विविधः–

(i) मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन में आय–व्यय का वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर की आय व्यय मदों का वार्षिक बजट तैयार किया जाये एवं तदानुसार ही आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ii) मन्दिर निधि से प्रदान की गई विभिन्न अग्रिम राशियों के लिए अग्रिम रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। अतः उक्त अभिलेख अब तुरन्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(iii) मन्दिर न्यास द्वारा अचल सम्पति रजिस्टर जो की एक महत्वपूर्ण अभिलेख है का निर्माण भी नहीं किया गया था जिसके अभाव में मन्दिर की अचल सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट न हो सकी। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अविलम्ब तैयार किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाये।

उपरोक्त अभिलेख तैयार करने के लिए अनुभाग अधिकारी अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03/2013 दिनाँक 29.10.13 को जारी की गई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उक्त के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई है अपितु इनका निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया।

23 **निष्कर्ष :–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। मन्दिर न्यास के आभूषण, सोना–चांदी व निवेश की मदों का सही रूप में लेखांकन तथा तत्सम्बन्धी स्टॉक रजिस्टर के उचित रख–रखाव की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)209/2000–पार्ट,2477–81 दिनांक 13.05.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1. सचिव/मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री हनुमान जी मन्दिर जाखू शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2. उपायुक्त शिमला जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)।
3. निदेशक, भाषा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
4. अवर सचिव (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
5. श्री मन्जीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....................

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा 1 (iv) में सन्दर्भित**

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/84 से 03/97

उपरोक्त अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसे निरस्त किया गया है।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2000

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 16	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2001 से 31.12.2003

1	पैरा 5	निर्णीत	(अपेक्षित वसूली उपरान्त निर्णीत)
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	निर्णीत	(प्रस्तुत किये गये उत्तर एवं अपेक्षित रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त निर्णीत)
5	पैरा 9	निर्णीत	(प्रस्तुत किये गये उत्तर एवं अपेक्षित रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त निर्णीत)
6	पैरा 10	अनिर्णीत	
7	पैरा 11	अनिर्णीत	
8	पैरा 12	अनिर्णीत	
9	पैरा 13	अनिर्णीत	
10	पैरा 14	अनिर्णीत	
11	पैरा 20	अनिर्णीत	
12	पैरा 21	अनिर्णीत	
13	पैरा 22	अनिर्णीत	
14	पैरा 23	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2004 से 31.12.2010

1	पैरा 3	निर्णीत	(अवधि 01.01.04 से 31.12.10 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹24000/- चैक संख्या 941814 दिनाँक 05.07.12 द्वारा जमा किया गया है)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
5	पैरा 7	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	

6	पैरा 8	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त निर्णीत)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10 (क) (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	निर्णीत	(प्रस्तुत किये गये उत्तर के दृष्टिगत)
10	पैरा 12	निर्णीत	(वस्तुस्थिति स्पष ट करने के उपरान्त)
11	पैरा 13 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त)
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
15	पैरा 17	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त)
16	पैरा 18	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
17	पैरा 19	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त निर्णीत)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	53
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	15
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/04 से 12/10 तक)	38